रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 42,00 (फाल्गुन 14, 1921)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 2000 (PHALGUNA 14, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

केन्द्र-1 विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा

मुंबई—400005, दिनांक 26 फरवरी 2000

सं० पी०एस०बी०एम०—एच० 886/16-1-131/99—2000—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निम्नलिखित बैंक को उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से निकाल देने का निदेश देता है।

"दि टाइम्स बैंक लिमिटेड"

जी०पी० मुनियप्पन
कार्यपालक निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान डिसंट्लाइज्ड ओफिस

चेन्नई-600 034, दिनांक 7 दिसम्बर, 1999

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3 एम० सी० ए० (4)/3/1999—2000—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 20 उपधारा 1(ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्य का नाम उसकी अपनी प्रार्थना पर उसके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	023893	श्री सुब्रामनियन आर० एस० VI/1732 थेक्कमडोम पैलेस रोड़, कोची--682002.	31--3-99

अशोक हल्दिया, सचिव

कलकत्ता 700071, दिनांक 8 फरवरी, 2000

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस्)

सं० 3-ई० सं० ए० 4/1/1999--2000 --चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 क धारा 20 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है ।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	007201	श्री दत्ता अमर गोपाल नाग एण्ड एसोसिएट्स, 2 चौरंगी एप्रोच, कलकत्ता--700072.	4--7--1999
2.	002059	श्री विश्वास अनिल कुमार, मुखर्जी विश्वास एण्ड पाठक, 5 एण्ड 6 फर्सी लेन, कलकत्ता--700 001.	5--9--1999
3.	052240	श्री प्रधान गोविन्द चन्दा, एच० नायर एण्ड कम्पनी, तेलेंगा बाजार, कटक--753 009.	13--3--1999
4.	003453	श्री झा देव राम 9 एस०डब्ल्यू० बलाक, 64 लेक रोड, कलकत्ता-700029	19--5--1998
5.	016386	श्री दत्ता सत्य प्रिय, 7, सदर स्ट्रीट, कलकत्ता-700016.	19--5--1999
6.	011603	श्री बराल श्रीमता सी०, प्राइस वाटरहाउस, बी3/1 गिलेण्डर हाउस, एन एस० रोड, कलकत्ता-700001.	21-6-1999
7.	006766	श्री सेनगुप्ता पुर्णेन्दु कुमार, मैसर्स जी सान्याल एण्ड कम्पनी, टेम्पल चेम्बर्स, 6, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता--700001.	23--3--1999
8.	050997	श्री सामंत तापस, 3बी वेभारली लेन, कलकत्ता--700013.	24--6--1999
9.	006061	श्री बोथरा कमल सिंह, के० एस० बोथरा एण्ड कम्पनी, मार्केन्टाइल बिल्डिंग, 9/12 लाल बाजार स्ट्रीट, ई-ब्लॉक प्रथम तल्ला, कलकत्ता--700001.	25--9--1998
10.	006708	श्री घोष बंकिम बिहारी, 'मातृ स्मृति', सी० एफ०--375, साल्ट लेक, कलकत्ता--700064.	26--3--1999
11.	001759	श्री राय चौधरी विमलेश, 3 नन्दन रोड, कलकत्ता--700025.	29--7--1999
12.	007919	श्री राय शिवा प्रसाद, फ्लेट 3 बी, तीसरी मंजिल, 509, जोधपुर पार्क, कलकत्ता--700068.	30--3--1999
13.	004302	श्री कुण्डु निमाई चन्द, 6 बी सेवक वैद्य स्ट्रीट, प्रथम तल्ला, कलकत्ता--700029	30--12--1998

अशोक हल्दिया, सचिव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 9 फरवरी 2000

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-4/5922—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (ख) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा के उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची–1

क्र०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के०भ०नि० आ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० राजपालायम मिल्स लि०, पी० ए० सी० रामास्वामी राजा सलाई, राजापालायम–626117 ।	टीएन/179	2/1959/डीएलआई/एक्स/89/पीटी दि० 10–1–99	28–2–99	1–3–99 से 28–2–2002	2/2052/89/डीएलआई
2.	मै० दि के०सी० पी०लि०, 12 डा० पी० वी० चरेन क्रेसन्ट गमीर चेन्नई–600008 तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली तथा मुम्बई।	टीएन/1156	10–1–99	31–3–99	1–4–99 से 31–3–2002	2/1758/88
3.	मै० एल० जी० बालाकृष्णन एण्ड ब्रादर्स लि०, पी०बी० नं० 3706, इण्डिया हाऊस, त्रिची मार्ग, कोयम्बटूर–18 ।	डीएन/1165	31–7–99	31–7–99	1–8–99 से 31–7–2002	2/1196/85
4.	मै० फाल इण्डस्ट्रीज लि०, पी० बी० नं० 5063, पेरून्गुडी, चेन्नई–600096 ।	टी०एन०/4805	19–5–99	31–12–97	1–1–98 से 31–12–2000	14/163/96
5.	मै० सोलिगगुर टैक्सटाइल्स लि०, पी० बी० नं० आरी– कोनम मार्ग, सोलिगगुर–631102 ।	टीएन/6294	28–2–96	31–12–96	1–1–97 से 31–12–99	14/90/95

1	2	3	4	5	6	7
6.	मै० साराडे सिलिकेटिड एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज 6/412, कुनियामुथुर कोम्बटूर–641008 ।	टीएन/ 6964	19–5–99	30–6–99	1–7–99 से 30–6–2002	2/4739/92
7.	मै० कृष्णा इन्जीनियरिंग कं० प्रा० लि०, डी–1, भेल एन्सीलेरी, इण्डस्ट्रीज स्टेट त्रिची–14 ।	टीएन/ 8268	30–9–97	16–3–96	17–3–96 से 16–3–99	2/2004/84
8.	मै० महालिंगम रोडवेज अरूपूकुटई–626101 ।	टीएन/ 9578	—	28–2–99	1–3–99 से 28–2–2002	2/2992/91
9.	मै० एल०टी० एम० लि०, माउन्ट पूर्णामाल्ली मार्ग, पी० बी० नं० 977, मानापाक्कम, चेन्नई ।	टीएन/ 9710	21–6–99	31–3–99	1–4–99 से 31–3–2002	14/8/94
10.	मै० माइलवहानन ट्रांसपोर्ट अरूपूकुट्टई–626101 ।	टीएन/ 9892	24–12–97	31–3–99	1–4–99 से 31–3–2002	2/2661/90
11.	मै० डब्ल्यू० सी० आई० (मद्रास) प्रा० लि०, ए, बिल्डिंग एन एस सी बोस मार्ग, चेन्नई–600001 ।	टीएन/ 17509	13–1–99	31–3–99	1–4–99 से 31–3–2002	2/5475/94
12.	मै० इण्डस्ट्रियल एण्ड टैक्नीकल कन्सलटेन्स, संगठन आफ तमिलनाडु लि०, 50–ए, ग्रेम्स मार्ग, चेन्नई–600006 ।	टीएन/ 17795	10–1–99	31–3–99	1–4–99 से 31–3–2002	2/2633/90
13.	मै० पत्तण एण्ड कार्पेन्ट्री वर्क्स, 1/11, मुगलीवाक्कम मार्ग, पोरूर, चेन्नई–600016 ।	टीएन/ 10343	10–1–99	31–3–99	1–4–99 से 31–3–2002	2/2315/90/ डीएलआई
14.	मै० इण्डो फैब डी–31. 32 डी० पी० स्टेट. थावुकुडी त्रिची–15 ।	टीएन/ 10471	28–7–97	31–8–96	1–9–96 से 31–8–99	14/266/97
15.	मै० पोस्टलिया इन्टरफेन्क प्रा० लि०, 61, मोन्थेत मार्ग, इगमोर चेन्नई–600008 तथा शाखाएं ।	टीएन/ 11252	30–9–97	31–10–98	1–11–98 से 31–10–2001	2/4014/92
16.	मै० पिलार इण्डक्शन (इण्डिया) प्रा० लि०, ब्लाक ए–13, दूसरी एवेन्यू अन्ना नगर, चेन्नई–600102 तथा इसकी फैक्ट्री तथा कार्यालय।	टीएन/ 19365	3–5–93	31–1–95	1–2–95 से 31–1–98	2/3869/91

1	2	3	4	5	6	7
17.	मै० कोगनिजेन्ट टैक्नालाजी सोलुशन इण्डिया लि०, नं० 27, वाहिटस मार्ग, चेन्नई–600014 तथा शाखाएं ।	टीएन/ 31309	11–3–96	31–10–97	1–11–97 से 31–10–2000	14/126/96
18.	मै० साउदरन इन्जीनियरिंग कं० 12वी, सी,बंगाली स्ट्रीट पट्टाई तिनेलवली– 627004 तमिलनाडु।	टीएन/ 11271	6–4–93	30–11–94	1–12–94 से 30–11–97 1–12–97 से 31–11–2000	2/2389/90
19.	मै० दि तमिलनाडु टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०, 7510–ए, मोहना भवन 15, हजुरमार्ग, कोयम्बेटूर– 641018 ।	टीएन/	––	2–9–94	3–9–94 से 2–9–97 3–9–97 से 2–9–2000	2/1204/85
20.	मै० कल्गुरर सिपिनर्स प्रा० लि०, पेथापमट्टी– 642205, उदमलपेट, तमिलनाडु।	टीएन/ 8400	26–1–99	31–5–99	1–6–99 से 31–5–2002	2/1835/88

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2–क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई/एक्जम/89/भाग-2/5946—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम को अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के०भ० नि० आ० की फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० रघुवीर सिन्थेटिक लि०, रखियल रोड अहमदाबाद–370023।	जी जे/2638	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जम/89/पी टी/दिनांक 22–1–99	31–1–99	1–2–99 से 31–1–2002	2/5140/93/डी एल आई
2.	मै० दि० सूरत डिस्ट्रोक को० प० बैंक, लि०, पंजीकृत कार्यालय जे० पी० मार्ग, आलवेगेट सूरत (तथा शाखायें) गुजरात ।	जीजे/4672	21–1–99	26–8–98	27–8–98 से 26–8–2001	2/211/79
3.	मै० श्री गणेश खांड उद्योग सहकारी मण्डी, लि०, पो० वाटालिया त० वालीया जिला भरूच गुज० ।	जीजे/9877	7–10–98	30–11–98	1–12–98 से 30–11–2001	4/27/97
4.	मै० पार्मस डायमण्डस एक्सपोर्ट प्रा० लि०, पार्मस रोड एट पी ओ० चापरा नवसारी 396445	जीजे०/24644	19–11–98	30–11–98	1–12–98 से 30–11–2001	4/39/97

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी का व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती जो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. दत्ता
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-4/एक्जम/89/5954—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हुए कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई की अलग अंशदान या प्रीमियम को अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रस्थापक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हिमाचल प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० न्यूचैम इण्डस्ट्रीज प्रा० (लि०) पांओंटा साहिब सिरमोर हिमाचल प्रदेश	एच पी/11525	1–1–95 से 31–12–97 1–1–98 से 31–12–2000	17/9/99/ डी० एल० आई०
2.	मै० फैराडेस इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, इण्डस्ट्रीयल एरिया कुलहाडीवाला बरोटी वाला, सोलन हिमाचल प्रदेश	एच पी/18174	1–2–98 से 31–1–2001	17/12/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खंड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का आशय स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन उक्त प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, ऐसी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से अधिक किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन सब सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक, वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/एक्जम/89/5960 —जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पंजाब ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के प्रचालन की छूट प्रदान कर दी गई है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० अल्पा एण्टीबायोटिक्स लि०, एस० सी० ओ० पहली मंजिल मध्या मार्ग, सैक्टर 26, चण्डीगढ़	पी एन/14934	1–3–97 से 29–2–2000	12/126/99/ डी०एल० आई०
2.	मै० पंजाब फेबकर्स लि०, वी० पी० ओ० रेलमाजरा तहसील बालाचूर जिला नवाशहर पंजाब	पी एन/10178	1–10–97 से 30–9–2000	12/108/99
3.	मै० सटनले इंजीनियरिंग प्रा० लि०, 189–ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया चण्डीगढ़	पी एन/9895	1–11–97 से 31–10–2000	12/45/98
4.	मै० गोदरेज जी० एपलाईनस लि०, प्लाट ए–40, फेस आठ ए, एस० ए एस० नगर, मोहाली चण्डीगढ़।	पी एन/14830	1–11–97 से 31–10–2000	12/20/98

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110066, दिनांक 10 फरवरी 2000

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-2/5968—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहलग्न बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों को रखते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० की फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० गुजरात स्टेट रोड ट्रांस० पोर्ट कारपोरेशन वाहन-व्यवहार भवन, अहमदाबाद-380002 सभी शाखों सहित	जीजे/1122	2/1959/डी० एल० आई एक्जम/89/दि० 20-5-93	15-8-95	16-8-95 से 15-8-98 16-8-98 से 15-8-2001	2/156/7 डी० एल० आई०

1	2	3	4	5	6	7
2.	मै० शारेस को०ओ०सोसायटी लि०, पुरानी पायलेट डयरी के सामने, कनकारिया अहमदाबाद–380022	जी जे/7249 ए	18–1–94	13–9–96	14–9–96 से 13–9–99 14–9–99 से 13–9–2002	2/1303/85
3.	मै० कलर सिनथ इंण्डस्ट्रीयल लि०, सी–1 बी 10, प्लाट नं० 31–32, –34, जी आई डी सी, पडेसारा, सूरत	जी जे/9826		31-10-93	1–11–93 से 31–10–96 1–11–96 से 31–10–99	2/4314/92
4.	मै० दी विसानगर नागरिक सहकारी बैंक लि०अ गुंज बाजार मार्किट यार्ड, विश–नगर–384315 (एन० जी०)	जीजे/11959	27–2–97	5–2–98	6–2–98 से 5–2–2001	2/1241/85
5.	मै० मैन मेड टैक्सटाईल्स रिसर्च एसोसिएशन मार्किट टेलीफोन एक्सचेंज के पास रिंग रोड, सूरत–395002	जीजे/13545	7–10–98	30–4–98	1–5–98 से 30–4–2000	4/14/97
6.	मै० तापती इण्डस्ट्रीयल इंजीनियरस मनटुस कम्पाउण्ड, ए० के० रोड, सूरत–395008	जीजे/16714	18–1–94	29–2–96	1–3–96 से 28–2–99 1–3–99 से 28–2–2002	2/2761/90
7.	मै० इण्डीकाटो कास्ट, 904, जी० आई० डी० सी० इस्टेट, गोस–4, विट्ठल उद्योग नगर, गुजरात–398121	जीजे/17839	–वही–	31–1–94	1–2–94 से 31-1-97 1–2–97 से 31–1–98	2/4442/92
8.	मै० श्री स्वामीहरि गिरि पेपर मिल्स लि०, प्लाट नं० 621/1 जी० आई डी० सी० इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पनोली–394416	जीजे/23801	7–10–98	31–1–97	1–2–97 से 31–1–2000	4/47/97

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों के संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसका स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाती है तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल./आई./एक्जम/89/भाग-2/5980—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि उनके कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है :—

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० की फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० सेल फूड्स एण्ड फर्टीलाईजर्स इण्डस्ट्रीज, 15, पो० बा० 6219, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली–16 (2 बी०)	डी एल/103	2/1959/डी० एल आई/एक्जम/89/दिनांक 17–6–99	29–4–98	30–4–98 से 29–4–2001	2/911/90 डी एल आई

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि में कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत कर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा रामों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-4/5985—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची -1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और कोड सं० पता	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० की फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० सोना फैशन प्रा० लि० एफ -63 ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया फेस -1, नई दिल्ली 20	डी एल/9555	29-1-93	31-12-94	1-1-95 से 31-12-97 1-1-98 से 31-12-2000	2/4397/डी एल आई
2.	मै० हिन्दुस्तान फेरब लि०, अंगपुरा, नई दिल्ली-110014	डी एल/75	2-7-79	23-9-99	24-9-99 से 23-9-2002	2/1072/80
3.	मै० सोनर इन्टरनेशनल, 17, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-8	डी एल/11124	21-6-99	31-5-98	1-6-98 से 31-5-2001	3/55/98
4.	मै० कन्टीनेन्टल एयर ट्रेभल्स 1139, चांदनी चौक, दिल्ली-6	डी एल/9772	3-3-99	28-2-98	1-3-98 से 28-2-2001	3/62/98
5.	मै० सलोरा इन्टरनेशनल लि०, डी-13/4, ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020	डी एल/7920	28-4-97	31-7-95	1-8-95 से 31-7-98 1-8-98 से 31-7-2001	2/1562/98 डी एल आई

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का भी सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम केन्द्रीय बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ हटाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं 2/1959/डी एल आई./एक्जम/89/भाग-4/5994—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के०भ०नि०आ० की फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० दक्षिण कन्नाडा सहकारी सहकारी कारखाने लि०, ब्राह्म वारा-576213 उडवी तालुक, डी०के० जिला	के एन/12183	2/1959/डी एल आई/ एक्जम/89/पी०टी०दि० 3-7-98	30-4-99	1-5-99 से 30-4-2002	6/19/97/ डी एल आई
2.	मै० हिन्दुस्तान लिवर लि०, सुल्तान बैट्री, मार्ग, मंगलौर-575003	के एन/12195		31-7-99	1-8-99 से 31-7-2002	6/25/97

1	2	3	4	5	6	7
3.	मै० जे० एम० जे० डाइग-नोवा रिसर्च सैन्टर एण्ड सुपर स्पेसिलिटि हास्पिटल चर्च मार्ग, उडूपी-576101 मेंगलूर	के एन/12979		28-2-99	1-3-99 से 28-2-2002	6/21/97
4.	मै० रामाकृष्णा हाई स्कूल, एस० आर० एस होम, बेंगलूर-575003	के एन/12711		31-7-96	1-8-96 से 31-7-99	6/26/97
5.	मै० नेगावति ग्रामीण बैंक कुडमल रंगाराव मार्ग, कुरंगालपाडी मेंगलोर-575003 तथा शाखायें	के एन/12162	14-8-97	30-6-99	1 7 99 से 30-6-2002	6/4/97
6.	मै० कनारा सिक्योरिटी प्रेस लि०,पी० बी० नं० 10, मणिपाल 576119 डी० के० कर्नाटक, तथा शाखायें	के एन/12139	17-9-97	31-7-99	1-8-99 से 31-7-2002	2/4576/92

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में, भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110066, दिनांक 11 फरवरी 2000

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-4/6005—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहलबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन में प्रत्येक उक्त स्थापना के आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के०भ०नि०आ० की फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० नेशनल मिनरल डवैलपमेंट कारपोरेशन लि०, खनिज भवन 10-3-311/ए केशल हिल्स मासाब टैंक, हैदराबाद-500028 तथा शाखायें (2-बी)	ए पी/3676	2/1959/डी एल आई/एक्जम/89/पी टी-1 दिनांक 24-8-95	27-8-95	28-8-97 से 27-8-2000	2/629/80/डी एल आई
2.	मै० भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०, बी० एच० वी० पी० पोस्ट विशाखापटनम-12 (2-बी)	ए पी/3495	35014/202/एस एस-II दिनांक 7-4-86 तथा 9-8-91	17-12-91	18-12-91 से 17-12-94 18-12-94 से 17-12-97 18-12-97 से 17-12-2000 दिनांक 7-4-86 तथा 9-8-91 द्वारा जारी अधिसूचना में प्रकाशित तिथि 1-4-88 से 17-12-91 की 2 (ख) के अन्तर्गत माना जाये ।	2/625/86/डी एल आई

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का सारांश स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि वह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
के. एल. दत्ता

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/6012—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहलग्न बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

और, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० इम्पोरियल आटो इन्डस्ट्री लि० रेलवे गुड्स शेड के सामने फरीदाबाद	एच आर/1178	1–11–95 से 31–10–98	5/14/99/डीएलआई
2.	मै० अमफोर इंडस्ट्रीज 12/2 मथुरा रोड, फरीदाबाद	एच आर/5004	1–5–92 से 30–4–95	5/12/98
3.	मै० नार्थ वेस्ट स्वीचगेयर लि० 14/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद	एच आर/6355	1–4–92 से 31–3–95	5/8/89

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्राप्ति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्ति किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमे के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसका स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/एक्जम/89/6019—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है, जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० दि कांगड़ा को० आप० प्राइमरी एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल डवलपमेंट बैंक लि०, धर्मशाला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (ब्रांचों सहित)	एच पी/11646	1–5–97 से 30–4–2000	17/11/99/ डी एल आई
2.	मै० गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि०, विलेज सूली, पी० ओ० दासलाघाट सोलन (एच० पी०)	एच पी/11992	1–2–99 से 31–1–2002	17/13/99
3.	मै० आयशर स्कूल कालका, शिमला रोड़, सैक्टर–6, प्रवानू सोलन, एच० पी०	एच पी/18173	1–1–97 से 31–12–99	17/14/99
4.	मै० हिम इनफोमैटिक्स, प्रवानू सोलन, एच० पी०	एच पी/18284	1–1–98 से 31–12–2000	17/6/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

स. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/एक्जम/89/6027—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन को छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० बौराल युनियन को० आ० बैंक लि० पी० ओ० बौराल, जिला परगनाज (पश्चिम)–743505 (प० बं०)	डब्ल्यू बी/16654	1–12–98 से 30–11–2001	16/87/99डीएलआई
2.	मै० पैक्वल प्लास्टिक्स प्रा० लि० 313, गोधपुर पार्क, कलकत्ता–700068	डब्ल्यु बी/13009	1–3–99 से 28–2–2002	16/88/99

1	2	3	4	5
3.	मैं० कन्ट्रोल इनलेंडवाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि० 4 फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700001	डब्ल्यु बी/321	1-3-97 से 29-2-2000	1/89/99 डी०एल०आई०
4.	मैं० इल्किट्रील मैनुफैकचरिंग कं० लि० (ई० एम० सी०) ई० एम० सी० गार्डन, 136, जैसोर मार्ग, कलकत्ता-700055	डब्ल्यु बी/1635ए 3396-7873 9774	1-1-96 से 31-12-98 1-1-99 से 31-12-2001	16/90/99
5.	मैं० जे० जे० एक्सपोर्टस लि० 7सी, शंकर राय मार्ग, कलकत्ता-700001	डब्ल्यु बी/14633	1-1-99 से 31-12-2001	16/91/99
6.	मैं० कलार सहेन प्रा० लि० 143-सी, सरत बोस मार्ग, कलकत्ता-700026	डब्ल्यु बी/22576	1-3-99 से 28-2-2002	16/92/99
7.	मैं० एम० बी० कन्ट्रोल एन्ड सिस्टम प्रा० लि० 31/1, आहेरी पुकुर मार्ग, कलकत्ता-700019	डब्ल्यु बी/26175	1-4-99 से 31-3-20002	16/93/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दिष्टियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्दिष्टियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-5/6038—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है :—

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० चवाइस लैबोरेट्रीज स्टेट हाईवे उनझा–384170	जीजे/15832	1–3–98 से 28–2–2001	4/162/99/डीएलआई
2.	मै० स्टीलेज इण्डस्ट्रीज लि० 1302–1306, जी० आई० डी० सी० इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मलाल, पंचमहल–389350	जीजे/15931	1–8–98 से 31–7–2001	4/165/99
3.	मै० वासू फार्मास्यूटिकल्स प्रा० लि० 967–4, जी आई डी सी मकरपुरा, वड़ोदा–390010	जी जे/20029	1–3–96 से 28–2–99	4/166/99
4.	मै० प्रगति सहकारी बैंक लि० एलम्बिक कालोनी, वड़ोदा–3	जी जे/20370	1–1–96 से 31–12–98	4/164/99

1	2	3	4	5
5	मै० गुजरात वायलकैप्स प्रा० लि० सी–1, बी/86, रोड–9, जी० आई० डी० सी० एस्टेट, वडोदरा–391760	जी जे/20248	1–9–93 से 31–8–96 1–9–96 से 31–8–99	4/167/99
6.	मै० ट्रान्सटेक मार्केटिंग लि०, काकली रोड़, अटलादरा बडोदरा–390012	जी जे/5231–ए	1–7–97 से 30–6–2000	4/169/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सम्महिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम् का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण-प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश स्थापना से कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम से जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा पीमिशम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो या उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/एक्जम/89/6048—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने इसके सामने उल्लिखित तिथियों से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० एसोसिएटिड ट्रेडर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०, 20/1, आसफअली रोड़, नई दिल्ली–110002	डी एल/147	1–11–92 से 31–10–95 1–11–95 से 31–10–98 1–11–98 से 31–10–2001	3/130/99/डीएलआर
2.	मै० भारत डायलस डब्ल्यु–42, ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया फेस–2 नई दिल्ली–20	डी एल/4725	1–10–94 से 30–9–97 1–10–97 से 30–9–2000	3/118/99
3.	मै० मान होस्पीटल प्रा० लि० 1/37, रूपनगर, जी० टी० रोड़, दिल्ली–7	डी एल/8850	1–12–89 से 30–11–92 1–12–92 से 30–11–95 1–12–95 से 30–11–98	3/131/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो तब वह उक्त स्कीम के आधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशिती की प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जिसे बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

(CENTRAL OFFICE)

(DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT)

Centre-1, World Trade Centre
Cuffe Parade, Colaba

Mumbai-400005, the 26th February 2000

No, PSBS/H 886/16.01.131/99-2000—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following.

"The Times Bank Ltd.

G.P. MUNIAPPAN
Executive Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Chennai-600034. the 7th December 1999

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(4)/3/1999-2000 - In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Member of this Institute at his Request with effect from date mentioned against the name of the following member : –

S. No.	M.R.N.	Member Name & Address	Removal Date
1.	023893	Mr. Subramanian R.S. VI/1732 Thekkemadom Street Palace Road Kochi-682002.	31/03/99

ASHOK HALDIA
Secretary

Calcutta-700071, the 8th February 2000

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/4/1/1999-2000—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :–

S. No.	M.No.	Name & Address	Date of Removal
1	2	3	4
1.	007201	Mr. Datta Amar Gopal Nag & Associates 2 Chowringhee Approach Calcutta-700072.	04/07/99
2.	002059	Mr. Biswas Anil Kumar Mookherjee Biswas & Pathak 5 & 6 Fancy Lane Calcutta-700001.	05/09/99
3.	052240	Mr. Pradhan Govind Chandra H. Naik & Co. Telenga Bazar Cuttack-753009.	13/03/99
4.	003453	Mr. Jha Devi Ram 9SW Balaka 64 Lake Road Calcutta-700029.	19/05/98
5.	016386	Mr. Datta Satya Priya 7, Sudder Street Calcutta-700016	19/05/99
6.	011603	Mr. Baral Srimanta C, Price Waterhouse B3/1 Gillander House N. S. Road Calcutta-700001.	21/06/99
7.	006766	Mr. Sengupta Purnendu Kumar, M/s G. Sanyal & Co. Temple Chambers 6, Old Post Office Street Calcutta-700001.	23/03/99
8.	050997	Mr. Samanta Tapas 3B Waverly Lane Calcutta-700013.	24/06/99
9.	006061	Mr. Bothra Kamal Singh K. S. Bothra & Co. Mercantile Bldg, 9/12 Lall Bazar Street, E-Block Ist Floor Calcutta-700001.	25/09/98

1	2	3	4
10.	005708	Mr. Ghosh Bankim Behari "Matri Smriti CF-375, Salt Lake Calcutta-700064.	26/03/99
11.	001759	Mr. Ray Chaudhuri Bimalesh, 3 Nandan Road Calcutta-700025.	29/07/99
12.	007919	Mr. Roy Siba Prosad Flat 3B, 3rd Floor 509 Jodhpur Park Calcutta-700068.	30/03/99
13.	004302	Mr. Kundu Nemai Chand 6B Sevak Baidya Street Ground Floor Calcutta-700029.	30/12/98

ASHOK HALDIA
Secretary

MINISTRY OF LABOUR
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
(CENTRAL OFFICE)
14, BHIKAJI CAMA PLACE
New Delhi-110066, the 9th February 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5922.—WHEREAS the Employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II Annexed hereto. The Central Prividend Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establisment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C's. File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Rajapalayam Mills Ltd., P.A.C. Ramaswamy, Raja Salai, Rajapalayam-626117.	TN/179	2/1959/Exem/89/ Pt. I dated 10-1-99	28-2-99	1-3-99 to 28-2-2002	2/2052/DLI/89
2.	M/s. The K.C.P. Ltd., 2, Dr. P. V. Cherian Cresent Egmore, Chennai-600008, alongwith its Regional Office Delhi & Mumbai.	TN/1156	dated 10-1-99	31-3-99	1-4-99 to 31-3-2002	2/1758/DLI/88
3.	M/s. L. G. Balakrishnan & Brothers Ltd., P. B. No. 3706, India House, Trichy Road, Coimbatore-18.	TN/1165	dated 31-7-99	31-7-99	1-8-99 to 31-7-2002	2/1196/DLI/85
4.	M/s. Fal Industries Ltd., P. E. No. 5063, Perungudi, Chennai-600096.	TN/4805	dated 19-5-99	31-12-97	1-1-98 to 31-12-2000	14/163/DLI/96
5.	M/s. Sholingur Textiles Ltd., P. B. No. I, Arokonam Road, Sholingur-631102.	TN/6294	dated 28-2-96	31-12-96	1-1-97 to 31-12-99	14/90/DLI/95

1	2	3	4	5	6	7
6.	M/s. Sharade Silicated & Chemicals Industries, 6/412, Kuniamuthur, Coimbatore-641008.	TN/6964	dated 19-5-99	30-6-99	1-7-99 to 30-6-2002	2/4739/DLI/92
7.	M/s. Krishna Engg. Co. (P) Ltd. D-I, BHEL Ancillery, Industrial Estate, Trichy-14.	TN/8268	dated 30-9-97	16-3-96	17-3-96 to 16-3-99	2/2004/DLI/84
8.	M/s. Mahalingam Roadways, Arupukkottai-626101,	TN/9578	Do.	28-2-99	1-3-99 to 28-2-2002	2/2992/DLI/91
9.	M/s. LTM Ltd., Mount Poonamallee Road, P. B. No. 977, Manapakkam, Chennai.	TN/9710	dated 21-6-99	31-3-99	1-4-99 to 31-3-2002	148/DLI/94
10.	M/s. Mayilvahanan Transport, Aruppukkottai-626101.	TN/9892	dated 24-12-97	31-3-99	1-4-99 to 31-3-2002	2/2661/DLI/90
11.	M/s. W.C.I. (Madras) Pvt. Ltd., Y.M.C.A. Building, N.S.C. Bose Road, Chennai-600001.	TN/17509	dated 13-1-99	31-3-99	1-4-99 to 31-3-2002	2/5475/DLI/94
12.	M/s. Industrial Technical Consultancy Organisation of T. N. Ltd., 50-A. Greams Rd., Chennai-600006.	TN/17795	dated 10-1-99	31-3-99	1-4-99 to 31-3-2002	2/2633/DLI/90
13.	M/s. Pattern & Carpentary Works, 1/11, Mugalivakkam Road, Porur, Chennai-600016.	TN/10343	Do.	31-3-99	1-4-99 to 31-3-2002	2/2315/DLI/90
14.	M/s. INDO FAB, D-31, 32, D. P. Estate, Thuvakudi, Trichy-15.	TN/10471	dated 28-7-97	31-8-96	1-9-96 to 3-1-8-99	14/266/DLI/97
15.	M/s. Postalia Interfrank Pvt. Ltd., 61, Montieth Road, Egmore. Chennai-600008, alongwith its branches.	TN/11252	dated 30-9-97	31-10-98	1-11-98 to 31-10-2002	2/4014/DLI/92
16.	M/s. Pillar Induction (India) Pvt. Ltd., Block-A-13, 2nd Avenue, Anna Nagar, Chennai-600102. alongwith its Factory and Office.	TN/19365	dated 3-5-93	31-1-95	1-2-95 to 31-1-98	2/3869/DLI/91
17.	M/s. Cognizant Technology, Sulutions India Ltd., No. 27, Whites Road, Chennai-600014, alongwith its branches.	TN/31309	dated 11-3-96	31-10-97	1-11-97 to 31-10-2000	14/126/DLI/96
18.	M/s. Southern Engineering Co. 12, B.C. Bungalow Street, Pettai, Tirunelveli 627004 Tamil Nadu.	TN/11271	dated 6-4-93	30-11-94	1-12-94 to 30-11-97 1-12-97 to 30-11-2000	2/2389/DLI/90
19.	M/s. The Tamil Nadu Textile Corporation Ltd., Mohana Bhawan, 15, Hazur Road, Coimbatore-641018.	TN/7510-	dated	2-9-94	3-9-94 to 2-9-97 3-9-97 to 2-9-2000	2/1204/DLI/85
20.	M/s. Kungurar Spinners Pvt. Ltd., Pethappampatti-642205, Udumelpet T. K.	TN/8400	dated 26-1-99	31-5-99	1-6-99 to 31-5-2002	2/1835/DLI/88

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any, made by the employer is payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5946.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2 (A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any seperate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in schedule II Annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said estalishbments from the operation of all the provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated is attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/Extended.	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C's' File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Raghuvir Synthetics Ltd. Rakhial Road, Ahmedabad-380023.	GJ)2698	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt.-I dt. 22-1-99	31-1-99	1-2-99 to 31-1-2002	2/5140/93/DLI

1	2	3	4	5	6	7
2.	M/s. The Surat Distt. Co. Op. Bank Ltd., Regdi Office, J. I. Road, Athwagate Surat (GJ). (alongwith its branches).	GJ/4672	dated 21-1-99	26-8-98	27-8-98 to 26-8-2001	2/211/78/DLI
3.	M/s. Shree Ganesh Khand Udyog Sahakari Mandi Ltd., Off. Vataria Ta-Valia, Distt. Bharav Gujarat.	GJ/9877	dated 7-10-98	30-11-98	1-12-98 to 30-11-2001	4/27/97/DLI
4.	M/s. Parames Diamonds Export Pvt. Ltd., Parames Road At. P. O. Chhapre Navsari-396445.	GJ/24644	dated 19-11-98	30-11-98	1-12-98 to 30-11-2001	4(39)97/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(B) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of the exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5954.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2 (a) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Himachal Pradesh from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE I

Sr. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Nu-Chem Industries (P) Ltd., Paonta Sahib Sirmour, Himachal Pradesh	HP/11525	1-1-95 to 31-12-97 1-1-98 to 31-12-2000	17/9/99/DLI
2.	M/s. Faradays Engineering Industrial Area Kulhariwala Brotiwala, Solan, Himachal Pradesh	HP/18174	1-2-98 to 31-1-2000	17/12/99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/5960.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Punjab from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Alpa antibiotics Ltd., SCO-12, Ist Floor Madhya Marg Sector-26 Chandigarh	PN/14934	1-3-97 to 29-2-2000	12/126/99/EDLI
2.	M/s. Punjab Fibres Ltd., V.P.O. RailMajra, Teh. Balachaur Distt. Nawanshahar, Punjab	PN/10178	1-10-97 to 30-9-2000	12/108/99/EDLI
3.	M/s. Stanley Engineering Pvt. Ltd., 189-A, Industrial Area, Chandigarh.	PN/9895	1-11-97 to 31-10-2000	12/45/98/EDLI
4.	M/s. Godrejge Appliance Ltd.. Plot A-40, Phase-VIII-A, S.A.S. Nagar, Mohali, Chandigarh	PN/14830	1-11-97 31-10-2000	12/20/98/EDLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time. direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board if the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee. who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme. if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme. the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

The 10th February 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5968.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more [illegible] to such employees than the benefits admissible [illegible] Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, [illegible] referred to as the said Scheme)

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt of India. the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said [illegible] further period of 3 years as indicated in attached [illegible] their names

SCHEDULE-II

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P. F.C's File No.
1.	M/s. Gujarat State Road Transport Corporation Vahanvavahar Bhawan, Ahmedabad-380022 alongwith its branches.	GJ/1122	2/1959/DLI/Exem/ 89/Pt. I dated 2-5-93	15-8-95	16-8-95 to 15-8-98 16-8-98 to 15-8-2001	2/156/78/DLI
2.	M/s. Shreyes Co-op. Society Ltd., Opp. Old Pilot Dairy Kankaria, Ahmedabad-380022.	GJ/7259-A	dated 18-1-94	13-9-96	14-9-96 to 13-9-99 14-9-99 to 13-9-2002	2/1303/85/DLI
4.	M/s. Colour Synth. Ind. Ltd., C-1, B-10, Plot No. 31-32-34 G. I. D. C., Panesara Surat	GJ/9826	Nil	31-10-93	1-11-93 to 31-10-96 1-11-96 to 31-10-99	2/4314/92/DLI
3.	M/s. The Visanagar Nagrik Sahakari Bank Ltd. Gunj Bazar Market Yard, Visanagar-384315 (NG)	GJ/11959	dated 27-2-97	5-2-98	6-2-98 to 5-2-2001	2/1241/85/DLI
5.	M/s. Man Made Textile Research Association, Near Market Telephone Exchange, Ring Road, Surat-395002.	GJ/13545	dated 7-10-98	30-4-98	1-5-98 to 30-4-2001	4/14/97/DLI
6.	M/s. Tapti Industries Engineers Mankhush Compound, A. K. Road, Surat-395008.	GJ/16714	18-1-94	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99 1-3-99 to 28-2-2002	2/2761/90/DLI
7.	M/s. Inducto Cast 904, GIDC, Estate Phase-IV Vithal Udyog Nagar, Gujarat-388121.	GJ/17839	Nil	31-1-94	1-2-94 to 31-1-97 1-2-97 to 31-1-98	2/4442/92/DLI
8.	M/s. Shree Sawamihari Giri Paper Mills Ltd., Plot No. 621/1 GIDC Industrial Estate, Panoli-394116.	GJ/23801	dated 7-10-98	31-1-97	1-2-97 to 31-1-2000	4/47/97/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s), legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the Employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5980.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(B) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section 2(B) of Section 17 of the said Act in continuation of Government of India the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated as attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Siel Foods & Fertilizers Industries-15, P. O. No. 6219 Shivaji Marg, New Delhi (2-B)	DL/103	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 17-6-99	29-4-98	30-4-98 to 29-4-2001	2/911/80/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/5985.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C. P. F. C's File No.
1.	M/s. Sona Fashion Pvt. Ltd., F-63, Okhla Industries Area Phase-I, New Delhi-110020.	DL/9555	dated 29-1-93	31-12-94	1-1-95 to 31-12-97 & 1-1-98 to 31-12-2000	2/4397/DLI
2.	M/s. Hindustan Freb Ltd. Jangpura, New Delhi-110014.	DL/75	dated 2-7-99	23-9-99	24-9-99 to 23-9-2002	2/1072/80/DLI
3.	M/s. Sonar International 17, South Patel Nagar, New Delhi-110008	DL/11124	dated 21-6-99	31-5- 98	1-6-98 to 31-5-2001	3/55/98/DLI
4.	M/s. Continental Air Travels, 1139, Chandni Chowk, Delhi-110006.	DL/9772	date 3-3-99	28-2-98	1-3-98 to 28-2-2001	3/62/98/DLI
5.	M/s. Salora International Ltd. D-1314, Okhla Industries Area Phase-II, New Delhi-110020.	DL/7920	dated 28-4-97	31-7-95	1-8-95 to 31-7-98 1-8-98 to 231-7-2001	2/1562/88/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premis, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5994.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act in continuation of Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C. P. F. C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Dakshina Kannada Sahakari Sakkare Karkhane Ltd., Brahmavara-576213, Udupi Taluk D. K. Dist.	KN/12183	2/1959/DLI/Exem/ 3-7-98 89/Pt.1 dated	30-4-99	1-5-99 to 30-4-2002	6/19/DLI/97/EDLI

1	2	3	4	5	6	7
2.	M/s. Hindustan Lever Ltd., Sultan Battery Road, Baloor Mangalore-575003	KN/12195		31-7-99	1-8-99 to 31-7-2002	6/25/DLI/97
3.	M/s. J.M.J. Diagnova Research Centre & Super Speciality Hospital Church Road, Udupi-576101 Mangalore.	KN/12979		28-2-99	1-3-99 to 28-2-2002	6/21/DLI/97
4.	M/s. Sri Rama Krishna High School, S. R. S. Home, Mangalore-575003.	KN/12711		31-7-96	1-8-96 to 31-7-99	6/26/DLI/97
5.	M/s. National Bank Kudmal Ranga Rao Road, Karangalpady, Mangalore-575003 alongwith its branches.	KN/12162 dated 14-8-97		30-6-99	1-7-99 to 30-6-2002	6/4/DLI/97
6.	M/s. Canara Security Press Ltd., P. B. No. 10, Manipal-576119, D. K. Karnataka. alongwith its Branches.	KN/12139 dated 17-9-97		31-7-99	1-8-99 to 31-7-2002	2/4576/DLI/92

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that could be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

The 11th February 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/6005.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(B) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(B) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	No. and date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ extended	Date of Expiry	Period of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. National Mineral Development Corporation Ltd., Khanij Bhawan, 10-3-311/A Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad-500028 and Branches (2—B)	AP/3676	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 24-8-95	27-8-97	28-8-97 to 27-8-2000	2/629/80/DLI
2.	M/s. Bharat Heavy Plate & Vessels Ltd., B.H.V.P., P.O. Vishakhapatnam-12.(2-B)	AP/3495	2/1959/DLI/Exem/S-35004/262/S.S.II dated 7-4-86 and 9-8-91	17-12-91	18-12-91 17-12-94 18-12-94 17-11-97 18-12-97 17-12-2000 Period of exemption in the Notification dated 7-4-86 and 9-8-91 for the period 18-12-85 to 17-12-88 and 18-12-88 to 17-12-91 respectively may be read as under Sec. 17(2-B) w.e.f. 1-4-88 to 17-12-91	2/625/86/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/6012.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Faridabad from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Imperial Auto Industries Ltd., Opp. Railway Goodshed, Faridabad	HR/1178	1-11-95 to 31-10-98	5/14/99/DLI
2.	M/s. Amforge Industries, 12/2 Mathura Road, Faridabad.	HR/5004	1-5-92 to 30-4-95	5/12/99/DLI
3.	M/s. North West Switchgear Ltd., 14/3, Mathura Road, Faridabad	HR/6355	1-4-92 to 31-3-93	5/8/99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government, may from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along-with translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be laible to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA,
Regional Provident Fund Commissioer

New Delhi-110066, the 15th January 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/6019.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Himachal Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. The Kangra Co-op. Primary Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Dharamshala, Kangra, Himachal Pradesh (alongwith its Branches)	HP/11646	1-5-97 to 30-4-2000	17(11)99/DLI
2.	M/s. Gujarat Ambuja Cement Ltd., Vill Suli, P. O. Daslaghat, Solan (H.P.)	HP/11992	1-2-99 to 31-1-2002	17(13)99/DPI
3.	M/s. Eicher School Kalka Shimla Road, Sector-6, Parawanoo Solan , (H.P.)	HP/18173	1-1-97 to 31-12-99	17(14)99/DLI
4.	M/s. Him Informatic Parwannoo , Solan (H.P.)	HP/18284	1-1-98 to 31-12-2000	17(6)99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/6027.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Boral Union Cooperative Bank Ltd., P.O. Boral Dist, 24-Parganas (West)-743505 West Bengal	WB/16654	1-12-98 to 30-11-2001	16/87/DLI/WB/99
2.	M/s. Pacwel Plastic Pvt. Ltd., 33, Jodhpur Park, Calcutta-700068	WB/13009	1-3-99 to 28-2-2002	16/99/DLI/WB/99
3.	M/s. Central Inland Water Transport Corporation Ltd. Fairlie Slace, Calcutta-700001	WB/321	1-3-97 to 29-2-2000	16(89)99/DLI
4.	M/s. Electrical Manufacturing Co. Ltd. (EMC), EMC, Garden 136, Jessore Road, Calcutta-700055	WB/1635, 1635A, 3396 7873, 9774	1-1-96 to 31-12-98 1-1-99 to 31-12-2000	16(90)99/DLI

Sl. No.	Name and Address of the Establishment	Code No.	Period for Exemption	C.P.F.C.'s File No.
5.	M/s. J.J. Exports Ltd. 7C, Shankar Roy Marg, Calcutta-700001	WB/14633	1-1-99 to 31-12-2001	16(91)99/DLI
6.	M/s. Klar Schen Pvt. Ltd., 143 C, Sarat Bose Marg, Calcutta-700026	WB/22576	1-3-99 to 28-2-2002	16(92)94/DLI
7.	M/s. M.B. Control and System Pvt. Ltd., 31/1, Ahiripukur Road, Calcutta-700019.	WB/26175	1-4-99 to 31-3-2002	16(93)99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employee under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insuready adopted by the said establishment, for the benefits to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/6038.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SECTION I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Choice Laboratories, State Highway, Unjha-384170	GJ/15832	1-3-98 to 28-2-2000	4(162)99/DLI
2.	M/s. Steelage Industries Ltd., 1302-1306 GIDC, Industrial Estate , Malal, Panchmahal-389350	GJ/15931	1-8-98 to 31-7-2001	4(165)99/DLI
3.	M/s. Vasu Pharmacauticals Pvt. Ltd., 967-4 GIDC Makarpura, Baroda-390010	GJ/20029	1-3-96 to 28-2-99	4(166)99/DLI
4.	M/s. Pragati Sahakari Bank Ltd., Alembic Colony, Baroda-3	GJ/20370	1-1-96 to 31-12-98	4(164)99/DLI
5.	M/s. Gujarat Vialcaps Pvt. Ltd., C-1-B/86, Road-9, GIDC Estate, Vadodara-391760	GJ/20428	1-9-93 to 31-8-96 1-9-96 to 31-8-99	4(167)99/DLI
6.	M/s. Transtek Marketing Ltd., Kakli Road, Atladra, Vadodara-390012	GJ/5231-A	1-7-97 to 30-6-2000	41(169)99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything containd in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s)/Legal heir (s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said schame but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

PUNJAB WAKF BOARD, AMBALA CANTT

Ambala Cantt., the 5th February 2000

Wakf/45/(1)/99 Gen./Publication :—In exercise of the power conferred under Section 27 of the Wakf Act, 1995 which are exercisable by me under the delegated powers by the Administrator, Punjab Wakf Board under section 40 of the Wakf Act, 1995, the following Properties are hereby declared as Sunni Wakf.

Sr. No.	Name of Wakf	Distt. Tehsil	Village	Kh. No.	Area	Value in Rs.	Nature & object of Wakf	How the Wakf is Administered	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mosque	Jalandhar ——— Phillaur	Apra	In Abadi No. 84	418 Sqrds	50,000	Religious	Direct Mgnt of PWB,. A/Cantt	
2.	Graveyard	Jalandhar	Kotli Than Singh	Kh. No. 63	12K—14M	1,27,000/-	Do.	Do.	
3.	Do.	Amritsar	Chogawan Rupowali	74	K—M 6—4	50,000/-	Do.	Do.	
4.	Mosque	Amritsar	Amritsar	MC 884/4	180 Sqrd	2,00,000-	Do. Do.	Do. Do.	
5.	Graveyard	Amritsar	Sultan Wind Sub Urban	Kh. No. 1186	K—M 5—18	Do.	Do.	Do.	
6.	Mosque Fateh Din Wali	Amritsar ——— Taran Taran	Punjward	Kh. No. 19/17 24/2/2 19/18 23 24	K—M 0—6 7—4 3—7 8—0 7—18 ——— 26—15	6,50,000/-			

1. Sr. No. 1 Mosque according to three Affidavits and report of E.O. Phagwara.
2. Sr. No. 2 Graveyard according to Jamabandi, 1968-69.
3. Sr. No. 3 Graveyard according to Khasra Gridawari for 15-10-98 to 30-9-99 Jamabandi 1997-98.
4. Sr. No. 4 Mosque according to the plan, report of E.O. Amritsar.
5. Sr. No. 5 Graveyard according to the report of E.O. Amritsar.
6. Sr. No. 6 Mosque Fateh Din Wali, according to the Jamabandi 1995-96 and report of E.O.

SYED SHAHID ALI
Chief Executive Officer

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000